दक्षिण रेलवे/SOUTHERN RAILWAY

No.P(R)113/P/PWD

प्रधानकार्यालय/ Headquarters Office
कार्मिक शाखा/ Personnel Branch
चेन्नै/Chennai - 600 003
दि./ Dated: 04-06-2015

आर बी ई सं/RBE No. 46 / 2015 **पी बी सी सं/ PBC No:62 / 2015**

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs / DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Workshops / other Units, etc.,

(As per mailing list –'A')

विषय/Sub: Providing training facilities for persons with disabilities – Guidelines.

******

A copy of Railway Board's letter No.E(MPP)2015/3/13 dated 14-05-2015 (RBE No. 46 / 2015) is enclosed for information, guidance and necessary action.

(V.SRINIVASAN)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/नियम
Senior Personnel Officer/Rules
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी
For Chief Personnel Officer

संलग्न/Encl: as above

प्रतिलिपि/Copy to : The Genl Secy / SRMU
The Genl Secy / AISCSTREA
The Genl Secy / AIOBCREA

The Genl Secy / NFIR

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD

****

RBE No. 46/2015

No.E(MPP) 2015/3/13 New Delhi, dated: 14.05.2015

The General Managers,
All Indian Railways.

Sub: Providing training facilities for persons with disabilities-Guidelines

A need has been felt to issue guidelines to provide certain additional facilities/amenities to persons with disabilities (PWD) to enable them to effectively discharge their duties. Guidelines have been laid down by the Department of Personnel & Training (DOP&T) for providing facilities such as identification of jobs, post recruitment and pre-promotion training, assistive devices, free accessibility etc. and other related areas which require special attention.

Since training is an essential component of the service requirement of an employee, following may be ensured/provided:

1. Induction training programme for the persons with disabilities should be imparted together with the other employees.
2. Job specific post-recruitment as well as pre-promotion training programmes should be organized for the persons with disabilities. Definite action to conduct job specific inclusive training programmes for persons with disabilities along with other employees should be enforced.
3. Duration and contents of training programmes may be finalized in consultation with the National Institutes under the Department of Disability Affairs, Ministry of Social Justice & Empowerment and, if felt necessary, assistance of prominent Associations/Federations/Confederations working in the sphere of disabilities could be taken.
4. Training programmes may also be arranged for the persons with disabilities, keeping in view changes in job profile on account of, introduction of new technology or promotion of the employees etc. The venue of the training needs to be fixed depending on suitability for conducting such training programmes.

Action taken on the above may be advised to this office.

Kindly acknowledge receipt.

13/5/15

(Anuradha Singh)
Director(MPP)
Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

आरबीई सं.46/2015

सं. ई(एमपीपी)2015/3/13 नई दिल्ली, दिनांक4.05.2015

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें.

विषय: विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैया कराने के संबंध में दिशा-निर्देश

विकलांग व्यक्तियों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं/सहुलियतें मुहैया कराने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की आवश्यकता महसूस की गई है ताकि वे अपनी ड्यूटी का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सकें। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपी एण्ड टी) ने विकलांग व्यक्तियों को सुविधाएं, जैसे उनकी विकलांगता के अनुसार कार्य सौंपने, भर्ती के उपरांत और पदोन्नति से पूर्व प्रशिक्षण देने, सहायक उपकरण, निःशुल्क उपलब्धता आदि और अन्य संबंधित क्षेत्रों जिनमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो, मुहैया कराने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।

चूँकि प्रशिक्षण, किसी कर्मचारी की सेवा आवश्यकता का एक अनिवार्य हिस्सा है, अतः निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाए/मुहैया कराए जाएं:

1. अन्य कर्मचारियों के साथ विकलांग व्यक्तियों के लिए आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं।
2. विकलांग व्यक्तियों के लिए भर्ती के उपरांत और पदोन्नति से पूर्व विनिर्दिष्ट कार्य से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ विकलांग व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट कार्य से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निश्चित कार्रवाई की जाए।
3. विकलांगता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय संस्थानों से परामर्श करके प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि और विषय तैयार किए जाएं और यदि आवश्यक हो तो विकलांगता क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख एसोसिएशनों/संघों/परिसंघों की सहायता ली जाए।
4. नई प्रौद्योगिकी का समावेशन या कर्मचारियों की पदोन्नति आदि के कारण कार्य प्रोफाइल में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएं। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की उपयुक्तता के आधार पर प्रशिक्षण स्थल निर्धारित करने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त मामले में की गई कार्रवाई के संबंध में इस कार्यालय को सूचित किया जाए।

कृपया पावती दें।

अनुराधा 13/5/15
(अनुराधा सिंह)
निदेशक(एमपीपी)
रेलवे बोर्ड